डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर (संशोधन) विधेयक, 2001

विषय-सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर अधिनियम, 1995 को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 है.

प्रारम्भ. 2. यह अधिनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

विस्तार. 3. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

संशोधनों का प्रभाव. 4. इस अधिनियम के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है), निम्न धाराओं में वर्णित संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे.

धारा 3 का संशोधन. 5. प्रमुख अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) में शब्द एवं अंक "अनुक्रमांक 2" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अनुक्रमांक 2 से 9 तक" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.

धारा 17 का संशोधन. 6. प्रमुख अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्न उप-धारा प्रतिस्थापित की जायेगी:

"(3) कोई अपील, स्वीकृत कर भुगतान के बिना, स्वीकार नहीं की जायेगी. तत्पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी, शेष कर या शास्ति की वसूली को, अपील के निराकरण तक स्थगित कर सकेगा."

धारा 18 का संशोधन. 7. प्रमुख अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) में :

(1) "स्व-प्रेरणा से" शब्द के बाद निम्न शब्द अंत:स्थापित किये जायेंगे.

या व्यक्ति अथवा नियोक्ता द्वारा निहित प्रारूप में आवेदन, आदेश दिनांक के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किये जाने पर.

(2) वर्तमान में प्रवृत्त परंतुक के स्थान पर निम्न परन्तुकों को प्रतिस्थापित किय[illegible]ाये:

परन्तु आयुक्त, वृत्ति-कर, इस उप-धारा के अधीन निगरानी आदेश पारित नहीं क[illegible] उस कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध धारा 17 में वर्णित प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित है या अपील[illegible]ने हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त नहीं हुई है.

परन्तु यह भी कि आयुक्त, वृत्ति-कर द्वारा, इस उप-धारा के अधीन निगरानी आदेश संबंधित विवादित आदेश पारित होने के दिनांक से 3 वर्ष पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा.

8. प्रमुख अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्न धारा अंत:स्थापित की जायेगी : धारा 18-ए का अंत: स्थापन.

''धारा 18-ए लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि का सुधार''

(1) आयुक्त, वृत्ति-कर द्वारा,

(एक) स्व-प्रेरणा से, अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, अथवा

(दो) व्यक्ति अथवा नियोक्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, ऐसे आदेश में लिपिकीय त्रुटि अथवा गणना की त्रुटि, को परिशोधित करते हुए आदेश पारित कर सकेगा.

परन्तु आयुक्त, वृत्ति-कर, व्यक्ति अथवा नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उस आदेश की जिसका परिशोधन किया जाना है, तारीख से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर नहीं किया गया है,

परन्तु यह भी कि आयुक्त, वृत्ति-कर द्वारा, कोई भी ऐसा परिशोधन यदि उसके कारण कर में वृद्धि हो जाती है, या वापसी की रकम कम हो जाती है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आयुक्त, वृत्ति-कर ने एतदर्थ सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया हो.

(2) जहां किसी आदेश के परिशोधन के लिये किसी व्यक्ति, अथवा नियोक्ता द्वारा किये गये किसी आवेदन पर ऐसा आदेश उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर परिशोधित नहीं किया जाता है वहां आवेदक उक्त आदेश को अपने आवेदन के अनुसार परिशोधित कराने का हकदार होगा और तद्नुसार आयुक्त, वृत्ति-कर उस आदेश को परिशोधित करेगा और जहां आयुक्त, वृत्ति-कर द्वारा स्वत: शुरू की गई कार्यवाही में कोई आदेश उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर पारित नहीं किया जाता, वहां ऐसी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी.

परन्तु इनमें कोई बात, आयुक्त, वृत्ति-कर को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी.

(3) उप-धारा (1) एवं (2) के उपबंध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में किसी भूल के परिशोधन में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे आयुक्त, वृत्ति-कर द्वारा भूल के परिशोधन में लागू होते हैं.

(4) यदि ऐसे किसी भूल सुधार आदेश के कारण कर की रकम कम हो जाए तो आयुक्त, वृत्ति-कर ऐसे व्यक्ति अथवा नियोक्ता को देय कोई भी रकम निर्धारित रीति से वापस करेगा.

(5) यदि ऐसे किसी भूल सुधार आदेश के फलस्वरूप कर की रकम में वृद्धि हो जाय या वापस की जाने वाली रकम में कमी हो जाय तो आयुक्त, वृत्ति-कर ऐसे व्यक्ति अथवा नियोक्ता द्वारा देय रकम को धारा 15 में उप-बंधित रीति से वसूल कर सकेगा

9. धारा 28 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा : धारा 28 का संशोधन.

(ज-1) धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निगरानी हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के प्रारूप एवं समया-वधि के संबंध में.

अनुसूची का संशोधन. 10. प्रमुख अधिनियम की अनुसूची में :

(1) प्रविष्टि क्रमांक (1) एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रविष्टि क्रमांक एवं प्रविष्टियां संस्थापित की जायेगी :

(1) नियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी

(1)	रुपये 1,00,000 से अधिक नहीं	निरंक
(2)	रुपये 1,00,000 से अधिक किन्तु रुपये 1,50,000 से अधिक नहीं	2,100/- (रुपये 175/- प्रति माह)
(3)	रुपये 1,50,000 से अधिक किन्तु रुपये 2,50,000 से अधिक नहीं.	2,400/- (रुपये 200 प्रति माह)
(4)	रुपये 2,50,000 से अधिक	2,500/- (रुपये 208 प्रति माह)

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए जहां कोई व्यक्ति किसी वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियोजन में नहीं रहता है, वहां उस कालावधि के लिए कर के भुगतान करने का दायित्व अनुपातत: कम कर दिया जायेगा.

(2) प्रविष्टि क्रमांक 7 एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रविष्टि क्रमांक एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी :

7 छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अधीन करदायी व्यवसायी जिनका वार्षिक सकल विक्रय :

(i)	रुपये 5,00,000 से कम है	निरंक
(ii)	रुपये 5,00,000 से अधिक किन्तु रुपये 10,00,000 से कम है.	1200
(iii)	रुपये 10,00,000 से अधिक किन्तु रुपये 25,00,000 से कम है.	2000
(iv)	रुपये 25,00,000 से अधिक किन्तु रुपये 50,00,000 से कम.	2250
(v)	रुपये 50,00,000 से अधिक है	2500

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार केवल रुपये 40,000/- तक वार्षिक सकल वेतन मजदूरी आय वाले करदाताओं को वृत्ति-कर से छूट प्राप्त है. इस सीमा से ऊपर आय वाले करदाताओं को वर्गीकृत दरों से वृत्ति-कर देय है. वर्तमान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों एवं निजी वेतनभोगी करदाताओं को वृत्ति-कर देना होता है.

2. राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में वृत्ति-कर की सीमा को परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है, ताकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राहत मिल सके. इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर अधिनियम, 1995 की अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक हो गया था.

3. शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में उक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने हैं. अनुसूची में शामिल सभी व्यक्तियों को आय के आधार पर कर देने का विकल्प देने के लिए धारा 3(3) में संशोधन होना है. स्वीकृत (एडमिटेड) कर के भुगतान पर अपील करने का प्रावधान करने हेतु धारा 17 (3) संशोधित की जानी है. निगरानी एवं भूल सुधार के प्रावधान लाने हेतु धारा 18 (1) संशोधित की जानी है तथा धारा 18-अ जोड़ी जानी है. इन संशोधनों को तत्काल करना आवश्यक था.

4. चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं था एवं उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने आवश्यक थे, अतएव महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया था, जिसे अधिनियम बनाया जाना है.

5. अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

तारीख : 24 जुलाई, 2001

रामचन्द्र सिंहदेव

भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ वृत्ति-कर अधिनियम, 1995

धारा 3 की उप-धारा (3)

(3) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के सामने कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वर्गों में से किसी भी वर्ग में आने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा देय कर के बदले में अनुक्रमांक 1 सामने कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वार्षिक आय पर चुकाने के लिए विहित रीति में विकल्प देने का अधिकार होगा तथा ऐसे विकल्प का प्रयोग कर लेने पर ऐसा व्यक्ति, उसको लागू, अनुक्रमांक 1 के सामने कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के सामने, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, कर चुकाने का दायी होगा और उस प्रयोजन के लिए अनुक्रमांक 1 में (वेतन) के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति की आय के प्रति निर्देश है.

धारा 17 की उप-धारा (3)

(3) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि कर या शास्ति की उस रकम का, जिसके कि संबंध में अपील की गई है, पूरा भुगतान नहीं कर दिया गया है.

धारा 18 की उप-धारा (1)

(1) वृत्ति-कर आयुक्त, स्वप्रेरणा से, किसी भी ऐसे आदेश का जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है, पुनरीक्षण कर सकेगा,

परन्तु इस उप-धारा के अधीन वृत्ति-कर आयुक्त द्वारा किसी भी आदेश का पुनरीक्षण, उस आदेश के, जिसके कि विरुद्ध आक्षेप किया गया है, पारित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष का अवसान हो चुकने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

धारा 28 की उप-धारा (2) का खण्ड (ज)

(ज) धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें अपील की जाएगी :

अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक (1)

(1) नियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी

(एक)	40,000 रुपये से अधिक नहीं है	-	कुछ नहीं
(दो)	40,000 रुपये से अधिक किन्तु 50,000 रुपये से अधिक नहीं है.	-	360 रुपये (30 रुपये प्रति मास)
(तीन)	50,000 रुपये से अधिक किन्तु 60,000 रुपये से अधिक नहीं है.	-	720 रुपये (60 रुपये प्रति मास)
(चार)	60,000 रुपये से अधिक किन्तु 80,000 रुपये से अधिक नहीं है.	-	1080 रुपये (90 रुपये प्रति मास)
(पांच)	80,000 रुपये से अधिक किन्तु 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है.	-	1200 रुपये (100 रुपये प्रति मास)
(छः)	1,00,000 रुपये अधिक किन्तु 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है.	-	1440 रुपये (120 रुपये प्रति मास)
(सात)	1,50,000 रुपये से अधिक किन्तु 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं है.	-	1800 रुपये (150 रुपये प्रति मास)
(आठ)	2,00,000 रुपये से अधिक किन्तु 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है.	-	2160 रुपये (180 रुपये प्रति मास)
(नौ)	2,50,000 रुपये से अधिक किन्तु 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं है.	-	2280 रुपये (190 रुपये प्रति मास)
(दस)	3,00,000 रुपये से अधिक	-	2400 रुपये (200 रुपये प्रति मास)

स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए जहां कोई व्यक्ति किसी वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियोजन में नहीं रहता है, वहां उस कालावधि के लिए कर के भुगतान का दायित्व अनुपातत: कम कर दिया जाएगा.

अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक (7)

(7) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अधीन कर की दैनिगी करने के दायित्वाधीन व्यापारी जिनका वार्षिक ग्रास-टर्न ओवर :—

(एक)	5,00,000 रुपये से कम है	-	कुछ नहीं
(दो)	5,00,000 रुपये या उससे अधिक किन्तु 10,00,000 रुपये से कम है.	-	500 रुपये
(तीन)	10,00,000 रुपये या उससे अधिक किन्तु 50,00,000 रुपये से कम है.	-	1000 रुपये
(चार)	50,00,000 रुपये से अधिक है	-	2500 रुपये

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.